न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः–2024/139 दर्ज तिथिः–06.03.2024

1. पूरणराम पुत्र गंगदाराम जाति कलबी निवासी प्रतापगढ सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. पूनमाराम पुत्र गंगदाराम
2. पुरखाराम पुत्र गंगदाराम
   जाति कलबी निवासी प्रतापगढ सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी
3. तहसीलदार गुडामालानी

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश कडवासरा
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 64 हाल खसरा नम्बर 43/1/5.0667 है0 में प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार वाके ग्राम प्रतापगढ तथा खाता संख्या 38 हाल खसरा नम्बर 541/140/3.1970 है0, में प्रार्थी 1/3 हिस्से का खातेदार वाके ग्राम सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में खाता संख्या 38 में प्रार्थी का नाम पूराराम पुत्र गंगदाराम व खाता संख्या 64 में भी पूराराम पुत्र गंगदाराम अंकित है। जबकि प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात् व आईडी व अन्य रिकॉर्ड प्रार्थी का सही नाम पूरणराम पुत्र गंगदाराम दर्ज है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है। अंत में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:38 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम पूरणराम पुत्र गंगदाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः उनकी ओर से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पूरणराम पुत्र गंगदाराम के स्थान पर पूराराम पुत्र गंगदाराम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी हाल राजस्व रिकॉर्ड में पूराराम पुत्र गंगदाराम दुरूस्त कर सही नाम पूरणराम पुत्र गंगदाराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम प्रतापगढ के नवीन खाता संख्या 64 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
पूनमाराम पुत्र गंगदाराम	43 / 1	5.0667 है0
पुरखाराम पुत्र गंगदाराम		
पूराराम पुत्र गंगदाराम		

5. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम सिंधासवा हरनियान के नवीन खाता संख्या 38 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
पूनमाराम पुत्र गंगदाराम	541 / 140	3.1970 है0
पुरखाराम पुत्र गंगदाराम		
पूराराम पुत्र गंगदाराम		

6. प्रकरण में प्रार्थीगण का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार हैः–

दस्तावेज का विवरण	नाम
पैन कार्ड	पूरणराम पुत्र गंगदाराम
आधार कार्ड	पूरणराम पुत्र गंगदाराम
राशन कार्ड	पूरणराम पुत्र गंगदाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:38 IST
Reason: SelfAttested

जनाधार कार्ड	पूरणराम पुत्र गंगदाराम
बैंक खाता पास बुक	पूरणराम पुत्र गंगदाराम
बिजली का बिल	पूरणराम पुत्र गंगदाराम
विकलांग प्रमाण पत्र	पूरणराम पुत्र गंगदाराम
उच्च माध्यमिक अंक तालिका	पूरणराम पुत्र गंगदाराम

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. *(....) पूरणराम व पूराराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है।*
   2. *प्रार्थी का शाला प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि में नाम पूरणराम अंकित है तथा प्रार्थी को पूरणराम नाम से ही जाना जाता है।*

8. उक्त विश्लेषण के अनुसार मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट पूरणराम व पूराराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। वर्तमान में प्रार्थी का अन्य दस्तावेजों में नाम पूरणराम पुत्र गंगदाराम अंकित है। अतः प्रार्थी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यधित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज <u>पूराराम पुत्र गंगदाराम</u> को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट <u>पूरणराम पुत्र गंगदाराम</u> का अंकन करने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.12.05 20:21:38 IST
Reason: SelfAttested